



Neutral Citation No. - 2026:AHC:54064

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 9099 वर्ष 2026

शुभम चौधरी उर्फ मणि

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के लिए अधिवक्ता	:	ओंकार सिंह, सचिन मलिक
प्रतिपक्षी(गण) के लिए अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

(क्रम संख्या 25/121)

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल,

1. वादसूची पुनरावलोकित की गई है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री ओंकार सिंह और विद्वान राज्य विधि अधिकारी श्री आर.पी. पटेल को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया।
3. यह जमानत आवेदन आवेदक की ओर से **मामला अपराध संख्या 258 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 191(2), 190, 140(1), 351(3), 352, 115(2), 333, 131, 103(1), 3(5), 238(ए) और 109(1) भारतीय न्याय संहिता, पुलिस स्टेशन- छपर, जिला- मुजफ्फरनगर में परीक्षण की लंबितता के दौरान जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है।**
4. अभियोजन पक्ष के कथनानुसार, सूचनाकर्ता और अरविंद पांडे (अब मृतक) मुजफ्फरनगर के छप्पर स्थित टोल प्लाजा में क्रमशः प्रबंधक और उप प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे और किराए

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के कमरे में रहते थे। आरोप है कि अभियुक्त ने सह-अभियुक्त शिव मलिक और 3-4 अज्ञात हमलावरों के साथ अरविंद पांडे को बुलाकर उनके घर में जबरदस्ती प्रवेश किया और अंदर घुसकर उन्हें अपशब्द कहे तथा लाठी-डंडे और लोहे की छड़ों से उन पर हमला किया, जिससे दोनों को गंभीर चोटें आईं। मृतक को गंभीर चोटें आईं। इसके बाद, अभियुक्त और अन्य सह-अभियुक्तों पर अरविंद पांडे का अपहरण करने और 19.09.2025 को लगभग 1:30 बजे उन्हें अपनी कार में ले जाने का भी आरोप है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सूचनाकर्ता और आवेदक के बीच पहले से मौजूद दुश्मनी के कारण आवेदक को झूठा फंसाया गया है। ये दोनों पहले हरियाणा के एक टोल प्लाजा में कार्यरत थे। यह भी कहा गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग 17 घंटे की देरी से दर्ज की गई, जिसका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

6. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि सूचनाकर्ता द्वारा अपहरण के संबंध में कहीं भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। सूचनाकर्ता मुकेश चौहान को चार चोटें आई हैं। पहली चोट का विवरण इस प्रकार है: "सिर के बाईं ओर 8 सेंटीमीटर लंबा घाव है, जिसे रेशमी टांकों से बंद किया जा चुका है, कुल टांकों की संख्या = 3, घाव बाएं कान के बाहरी भाग से 8 सेंटीमीटर दूर है।" यह तर्क दिया गया है कि इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि घायल मुकेश चौहान का इलाज कहाँ हुआ और उनके सिर पर टांके कहाँ लगाए गए। उनकी चोट की रिपोर्ट भी प्रथम सूचना रिपोर्ट के विवरण से मेल नहीं खाती, क्योंकि उनकी जांच 19.09.2025 को दोपहर 12:50 बजे की गई थी, और चोट लगने के बाद की अवधि 12-24 घंटे है।

7. विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 20.09.2025 को तैयार की गई थी, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शाम 5:35 बजे शुरू हुई थी। रिपोर्ट में चोटों की अवधि दो दिन बताई गई है, जो घटना की तिथि यानी 19.09.2025 को लगभग 1:30 बजे से मेल नहीं खाती, यानी लगभग छह घंटे का अंतर है। यह भी तर्क दिया गया है कि घटना 18/19.09.2025 की रात को हुई होगी, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित समय से काफी पहले है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के पेट में 100 मिलीलीटर गहरे लाल रंग का तरल पदार्थ

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पाया गया है, जिससे संकेत मिलता है कि घटना आधी रात से पहले हुई थी, क्योंकि पेट में कोई ठोस पदार्थ नहीं था।

8. विद्वान अधिवक्ता ने अंत में यह तर्क दिया कि आवेदक 20.09.2025 से जेल में दिन काट रहा है और उसका अपना कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और परीक्षण में सहयोग करेगा।

9. इसके विपरीत, विद्वान राज्य विधि अधिकारी ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी सूरज का अभिकथन है, जिसने अभियोजन पक्ष की कहानी को स्पष्ट रूप से दोहराया है और प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की पुष्टि की है। यह भी कहा गया है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में है, और घटना के बाद मृतक का शव अज्ञात रूप से बरामद किया गया था। आवेदक की संलिप्तता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह कथित तौर पर मृतक को प्रताड़ित करने के बाद उसका अपहरण करने वाले व्यक्तियों में से एक था। अतः आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंदी दलीलों, आरोपों की प्रकृति, यह तथ्य कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में है, मृतक व्यक्ति के कथित अपहरण का आरोप, मृतक के शव की बरामदगी और सूचनाकर्ता को लगी चोटों पर विचार करने के बाद, यह न्यायालय इसे जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं पाता है।

11. तदनुसार, जमानत आवेदन **खारिज किया जाता है।**

12. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले का निपटारा, **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य 2015 (3) एससीसी 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ (2017) 5 एससीसी 702** के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अद्यतन निर्णयों में निर्धारित सिद्धांत के दृष्टिगत, यदि कोई कानूनी बाधा नहीं है, तो शीघ्रता से किया जाए।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां किए गए संप्रेक्षण जमानत आवेदन के निपटारे से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त संप्रेक्षणों का परीक्षण के दौरान मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

17 मार्च, 2026

सिद्धांत

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।